न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र ओझा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **32/15 (वाद)**

1. श्री गोदा पिता स्व. भूरा मेघवाल निवासी फलीचडा खेडी तह. मावली।
2. श्री नाथु पिता स्व. भूरा मेघवाल निवासी फलीचडा खेडी तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री मांगीलाल पिता स्व. उदा मेघवाल निवासी फलीचडा खेडी तह. मावली।
2. श्री गणेश पिता मुतबन्ना गंगाराम मेघवाल निवासी फलीचडा खेडी तह. मावली।
3. श्री सोहन पिता स्व. उदा मेघवाल निवासी फलीचडा खेडी तह. मावली।
4. श्री वगता पिता स्व. जेराम मेघवाल निवासी फलीचडा खेडी तह. मावली।
5. श्री लाला पिता स्व. जेराम मेघवाल निवासी फलीचडा खेडी तह. मावली।
6. श्री नवला पिता स्व. जेराम मेघवाल निवासी फलीचडा खेडी तह. मावली।
7. मु. मोहनी बेवा स्व. नाना मेघवाल निवासी फलीचडा खेडी तह. मावली।
8. मु. भागु बेवा स्व. कुशाल मेघवाल निवासी फलीचडा खेडी तह. मावली।
9. श्री डालचन्द पिता स्व. कुशाल मेघवाल निवासी फलीचडा खेडी तह. मावली।
10. श्रीमती सायरी पत्नी बाबरू पिता कुशाल मेघवाल निवासी कुंचोली तह. मावली।
11. श्री अरविन्द पिता स्व. कजोड मेघवाल निवासी फलीचडा खेडी तह. मावली।
12. श्रीमती हेमा पत्नी हेमराज पुत्री स्व. कजोड मेघवाल निवासी साकरोदा तह. मावली।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री रामलाल मेघवाल, अधिवक्ता वादी।

2. श्री जसवंत राय चौहान, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 11, 12 ।

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 16.04.2018

1. वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा फलीचडा खेडी पटवार हल्का फलीचडा तह. मावली में ''परिशिष्ठ क'' में वर्णित आराजी नम्बर 279, 280, 281, 285, 287, 288, 289, 290, 292, 293, 294, 295, 296 किता 13 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा एवं ''परिशिष्ठ ख'' में वर्णित आराजी नम्बर 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 1173/666, 1174/666, 1175/666 किता 10 रकबा 33 बीघा 4 बिस्वा।
2. हम वादीगण व प्रतिवादीगण का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार हैं।

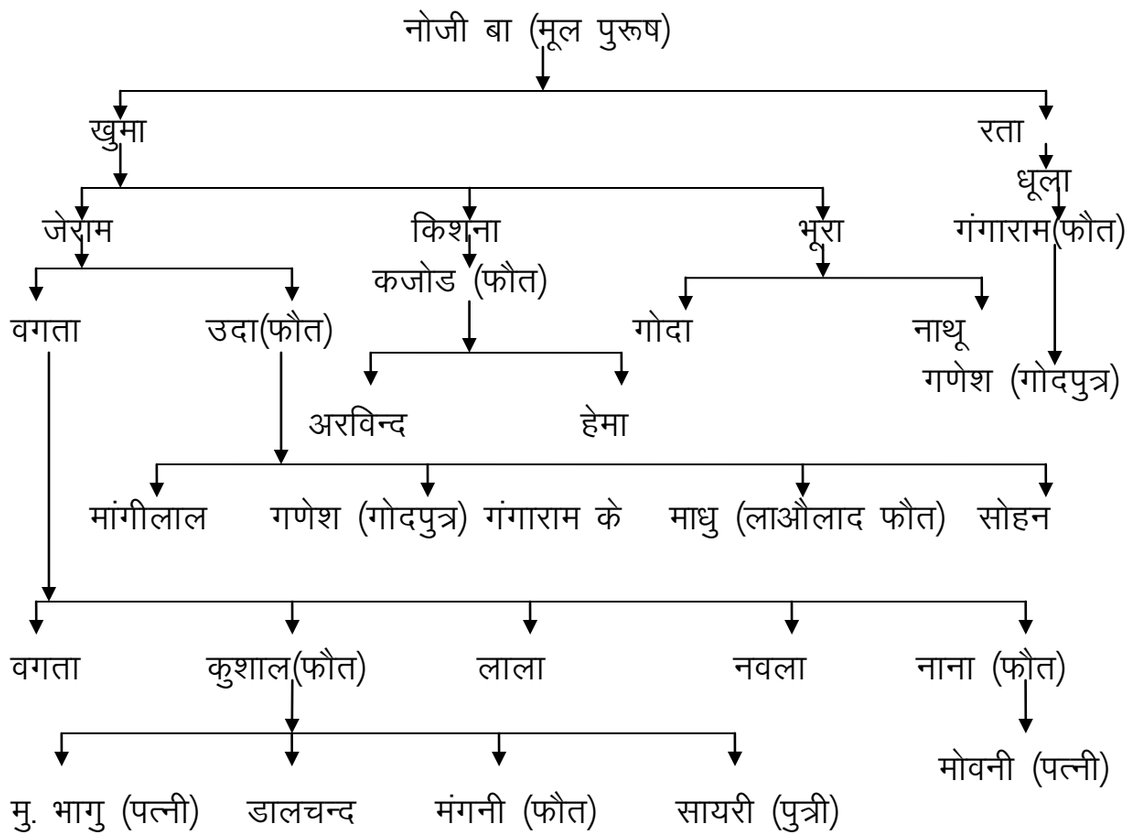

3. उक्त पारिवारिक सजरे अनुसार नोजी बा मूल पुरूष हुए जिनके देहावसान पश्चात् इनके दो पुत्र खुमा व रता हुए जो फौत हो चुके हैं। खुमा के तीन लडके हुए जेराम, किसना व भूरा हुए जो तीना की फौत हो चुके हैं। जेराम के 6 लडके हुए जो कि वगता, उदा, लाला, कुशाल, नवला व नाना हुए। जिसमें उदा, नाना व कुशाल फौत हो गये हैं। उदा के वारिसान प्रतिवादी सं. 1 व 3 हैं। उदा का एक पुत्र गणेश जो कि गंगाराम के गोद चला गया, जिससे परिशिष्ट ''ख'' की आराजीयातमें भी उसका नाम दर्ज है और परिशिष्ठ ''क'' की आराजीयात में भी नाम दर्ज रह गया है जबकि परिशिष्ठ ''क'' की आराजीयात में गणेश का कोई हक व अधिकार नहीं हैं। इसी तरह उदा के पुत्र माधु के लाऔलाद फौत हो जाने से जेराम के उक्त कृषि भूमि में 1/6 हिस्सें में मांगीलाल, सोहन, वक्ता, लाला व नवला व मोवनी का 1/30 वां हिस्सा दर्ज होना चाहिए तथा प्रतिवादी सं. 8, 9, 10 का 1/36 वां हिस्सा दर्ज होना चाहिए, जो नहीं हो पाया हैं। नाना की वारिस प्रतिवादी सं. 7 मोवनी हैं। कुशाल के फौत होने पर उनके वारिस प्रतिवादी सं. 8, 9 व 10 है। इसी तरह भूरा के वारिसान वादीगण है जिनका परिशिष्ठ क की आराजीयात में 1/3 हिस्सें अनुसार दर्ज होनी चाहिए एवं गंगाराम के लाऔलाद फौत होने से प्रतिवादी सं. 2 गणेशलाल गंगाराम के गोद चले जाने से उनका गोदपुत्र है। कजोड के फौत होने पर उसके वारिसान प्रतिवादी सं. 11 व 12 हैं।

जिनका 1/3 के हिस्सें अनुसार परिशिष्ठ ''क'' की आराजीयात दर्ज होनी चाहिए थी।

4. पारिवारिक सजरे अनुसार वाद में वर्णित कृषि भूमि पैतृक व मौरूसी जायदाद होते हुए खुमा के वारिसान में जेराम के ज्येष्ठ पुत्र होने से अकेले के नाम उक्त कृषि भूमि दर्ज हो गयी जिसमें वादीगण गोदा व नाथु का नाम दर्ज नहीं हो सका तथा कजोड का भी नाम दर्ज नहीं हो सका और वह भी लगभग 3 माह पूर्व फौत हो गया, एवं किसना के वारिस में कजोड फौत होने से उसके वारिस प्रतिवादी सं. 11 व 12 हैं। भूरा के वारिस में वादीगण हैं तथा रता, धूला, गंगाराम के फौत होने पर प्रतिवादी सं. 2 गणेश, गंगाराम के गोदपुत्र होकर गोद चला गया एवं गंगाराम के हक व हिस्सेनुसार परिशिष्ठ ख की कृषि भूमि पर काबिज हैं। परिशिष्ठ क में गणेश का राजस्व रिकार्ड में जो अंकन हुआ हैं, वह उदा के पुत्र होने से दर्ज रह गया है। जबकि कानूनन गोदपुत्र एक ही आराजीयात में अपना हक व हिस्सा रख सकता है इसलिए गणेश का परिशिष्ठ क में किसी प्रकार से कोई हक व कानूनी अधिकार नहीं रहा है जिससे उसका नाम हटाया जाना न्यायहित में नितान्त आवश्यक हैं।

5. परिशिष्ठ क की आराजीयात 289 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा एवं 290 रकबा 1 बीघा कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कृषि भूमि जेराम व भूरा ने रावला के ठाकुर साहब से खरीदी थी जो कुम्हारों के वाडा के नाम से जानी जाती थी। उक्त कृषि भूमि जेराम व भूरा की स्वअर्जित होने से उक्त आराजीयात जेराम के वारिसान व भूरा के वारिस गोदा व नाथु के हिस्सें में बराबर–बराबर आधी–आधी अर्थात् 1/2 हिस्सानुसार 1 बीघा 2.5 बिस्वा कृषि भूमि खाते दर्ज होनी चाहिए, जो नहीं हो सकी हैं। उक्त बिकावनामा की लिखापढी बडे भाई जेराम क पास होने से वादीगण के पास उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन बडे भाई जेराम फौत होने से जेराम के वारिसान के पास उक्त लिखापढी मौजूद है एवं गांव के कई मौतबीरान लोग भी जानते हैं एवं उक्त कृषि आराजीयात पर हम वादीगण काबिज हैं।

6. उक्त कृषि भूमि परिशिष्ठ क में जेराम का 1/3 हिस्सा ही निहित था, जेराम के फौत होने के पश्चात् एसके छः पुत्रों के नाम 1/18 हिस्से से दर्ज होनी चाहिए थी, मांगीलाल व सोहन के नाम पर 1/36 हिस्सेनुसार दर्ज होनी चाहिए थी। प्रतिवादी सं. 8, 9, 10 के नाम पर 1/36 वें हिस्सेनुसार नाम दर्ज होना चाहिए, जो नहीं हुआ है और नाना के फौत होने के बाद प्रतिवादी सं. 7 के नाम पर

1/36 वे हिस्से अनुसार दर्ज होनी चाहिए थी तथा कुशाल के फौत होने पर प्रतिवादी सं. 8, 9, 10 के नाम पर भी 1/36 वें हिस्से अनुसार दर्ज होनी चाहिए थी। इसी तरह उदा के फौत हो जाने पर उनके पुत्र प्रतिवादी सं. 1 व 3 के नाम पर 1/36 वें हिस्सेनुसार दर्ज होनी चाहिए थी तथा कजोड के फौत होने पर 1/3 हिस्से अनुसार प्रतिवादी सं. 11 व 12 के नाम पर 1/6 हिस्से अनुसार दर्ज होनी चाहिए थी तथा भूरा के वारिस में वादीगण के नाम पर 1/3 हिस्से अनुसार दर्ज होनी चाहिए थी तथा गंगाराम के फौत होने पर गोदपुत्र गणेश प्रतिवादी सं. 2 का नाम परिशिष्ठ ख की आराजीयात में राजस्व रेकार्ड में दर्ज है राजस्थान काश्तकारी नियमानुसार उक्त सजरे अनुसार दर्ज किया जाना न्यायहित में नितान्त आवश्यक है तथा राजस्व जमाबन्दी में जो अंकन से दर्ज है व कथित तौर पर गलत दर्ज हो गयी हैं। मौके पर हम वादीगण व प्रतिवादीगण सुविधानुसार काबिज है, लेकिन मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवारा नहीं हुआ हैं, जिससे आये दिन परेशानी होती हैं, तथा लगान इत्यादि जमा करवाने में दिक्कत होती है व ऋण आदि लेने में भी कठिनाई होती है, जिससे उक्त कृषि भूमि का हम वादी व प्रतिवादीगण सुविधानुसार उपयोग उपभोग नहीं कर पा रहे हैं और न ही उपजाऊ बना पा रहे है तथा विरासत अनुसार हम वादीगण के नाम पर नामान्तरण नहीं खुलने की वजह से एवं ग्रामीण परिवेश में रहने से तथा अनपढ ग्रामीण लोग होने से एवं अनुसूचित जाति के व्यक्ति होने से किसी प्रकार की कोई जानकारी कानूनी रूप से नहीं की वजह से इतनी लम्बी देरी होना स्वाभाविक हुई हैं, क्योंकि मौके पर सुविधानुसार कृषि कार्य कर रहे हैं। इसलिए हम वादीगण कानूनी हक व हिस्सें अनुसार खातेदारी अधिकार से दर्ज कराने के कानूनन अधिकारी हैं।

7. अतः प्रार्थना हैं कि हम वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर मौजा फलीचडा खेडी पटवार हल्का फलीचडा की वाद में वर्णित कृषि भूमि परिशिष्ठ क में हम वादीगण 1, 2 व प्रतिवादी सं. 1 से 12 के मध्य कानूनी हक व हिस्सें अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करते हुए प्रतिवादी सं. 2 के नाम का अंकन परिशिष्ठ क से हटाया जाने का आदेश पारित फरमाया जावें एवं उक्त आशय की डिक्री पारित फरमायी जावे तथा उसी अनुसार बंटवारा किया जाकर हम वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर अलग अलग खाते दर्ज करायी जाकर अलग अलग लगान बरफाल किये जाने का आदेश बक्षाया जावें। ताईद में शपथ पत्र पेश हैं।

8. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 10 अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गयें। प्रतिवादी सं. 11, 12 द्वारा उपस्थित होकर स्वीकारात्मक जवाब पेश किया। प्रकरण में स्वीकारात्मक जवाब होने से तनकी कायम नहीं की गई।
9. प्रकरण में अधिवक्ता वादी द्वारा दस्तावेज नकल जमाबन्दी प्रदर्श 1, 2 एवं 1ए व 2ए, नकल सेटलमेन्ट प्रदर्श 5, नकल मेवाड बन्दोबस्त प्रदर्श 3, नकल भू.प्रबन्ध सेटलमेन्ट प्रदर्श 4 पेश किया।
10. वादी द्वारा वाद के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री गोदा, पीडब्ल्यू 2 श्री नाथु के शपथ पत्र पेश किये।
11. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गईं। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी द्वारा स्वीकारात्मक जवाब होने से वादी के वाद को स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।
12. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। वादग्रस्त भूमि प्रदर्श 1, 2, 1ए एवं 2ए के अवलोकन वादी व प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज है। वादग्रस्त भूमि को वादीगण द्वारा अपनी पैतृक भूमि होना बताया हैं लेकिन वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में पैतृक भूमि होने बाबत् कोई एसा दस्तावेज पेश नही किया जिसके आधार पर भूमि पैतृक साबित होती है। वादग्रस्त भूमि के आ.न. 289, 290 को खातेदार जेराम व वादीगण के पिता भूरा के द्वारा रावला के ठाकुर साहब से खरीदना बताया है जबकि उक्त भूमि जेराम के द्वारा क्रय करने से भूमि जेराम के खाते में दर्ज हो गई जो कथन स्वंय वादीगण द्वारा अपने वाद में किया हैं। चूंकि केवल मात्र कथन के आधार पर जेराम व भूरा द्वारा उक्त भूमि को सामलाती में खरीदने के कथन को स्वीकारा नहीं जा सकता हैं। इसके समर्थन में भी कोई ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे वादीगण के कथनों को साबित किया जा सके। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज मेवाड बन्दोबस्त जमाबन्दी प्रदर्श 3 मे भी जेराम का नाम दर्ज है। एव जमाबन्दी प्रदर्श 3 संवत 2015 से 2018 मे भी खातेदार जेराम का नाम दर्ज है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 4 संवत 2023 में भी खातेदार के रूप में जेराम का ही नाम दर्ज है। भूमि पैतृक होने एवं वादीगण के पिता भूरा का कही भी खातेदार काश्तकार के रूप में नाम दर्ज नहीं

है। जेराम के मृत्यु के बाद भूमि जेराम के वारिसों के नाम पर विरासत से दर्ज हुई है जो सही हुई हैं वादीगण जेराम के भाई भूरा के लडके है। वर्णित दस्तावेजो के अवलोकन से कही भी वादग्रस्त भूमि जेराम के पिता खुमा के नाम पर होना जाहिर नहीं आया हैं, ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि में वादीगणो को खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं दी जा सकती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

–: <u>आदेश</u> :–

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हों। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

(जितेन्द्र ओझा)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास जितेन्द्र ओझा, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री गोदा पिता स्व. भूरा मेघवाल निवासी फलीचडा खेडी तह. मावली।
2. श्री नाथु पिता स्व. भूरा मेघवाल निवासी फलीचडा खेडी तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री मांगीलाल पिता स्व. उदा मेघवाल निवासी फलीचडा खेडी तह. मावली।
2. श्री गणेश पिता मुतबन्ना गंगाराम मेघवाल निवासी फलीचडा खेडी तह. मावली।
3. श्री सोहन पिता स्व. उदा मेघवाल निवासी फलीचडा खेडी तह. मावली।
4. श्री वगता पिता स्व. जेराम मेघवाल निवासी फलीचडा खेडी तह. मावली।
5. श्री लाला पिता स्व. जेराम मेघवाल निवासी फलीचडा खेडी तह. मावली।
6. श्री नवला पिता स्व. जेराम मेघवाल निवासी फलीचडा खेडी तह. मावली।
7. मु. मोहनी बेवा स्व. नाना मेघवाल निवासी फलीचडा खेडी तह. मावली।
8. मु. भागु बेवा स्व. कुशाल मेघवाल निवासी फलीचडा खेडी तह. मावली।
9. श्री डालचन्द पिता स्व. कुशाल मेघवाल निवासी फलीचडा खेडी तह. मावली।
10. श्रीमती सायरी पत्नी बाबरू पिता कुशाल मेघवाल निवासी कुंचोली तह. मावली।
11. श्री अरविन्द पिता स्व. कजोड मेघवाल निवासी फलीचडा खेडी तह. मावली।
12. श्रीमती हेमा पत्नी हेमराज पुत्री स्व. कजोड मेघवाल निवासी साकरोदा तह. मावली।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 32/15 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु जितेन्द्र ओझा R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 16.04.2018 को जारी की गई।

(जितेन्द्र ओझा)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली